<u>न्यायालय सिविल जज (जू0/डि0)</u>

<u>उपस्थिति– योगेश शिवा (उ0 प्र0 न्यायिक सेवा)</u>

मूलवाद सं0 68/2009

कालीचरन (मृतक) संतोष.....बनाम.....उ. प्र. सरकार

<u>दिनांकः– 21.12.2022</u>

पत्रावली प्रार्थना पत्र 55ए1 पर आदेश हेतू नियत है। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। प्रार्थना पत्र अंर्तगत आदेश 1 नियम 10 व धारा–151 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम कर्णवास, परगना व तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर की ठाकुर फेमिली से हैं। प्रार्थीगण के पूर्वज ग्राम कर्णवास के जमींदार थे और विवादित मंदिर के फाउण्डर थे। प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा विवादित मंदिर की बाबत न्यायालय सिविल जज (सी0/डि0) बुलन्दशहर में मूलवाद सं. 74 वर्ष 1953 किशन सिंह आदि बनाम ग्राम सभा आदि दायर किया था। उपरोक्त मूलवाद सं. 74 वर्ष 1953 किशन सिंह आदि बनाम ग्राम सभा आदि माननीय न्यायालय सिविल जज बुलन्दशहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.1955 द्वारा डिक्री किया जाकर प्रार्थीगण के पूर्वजों को विवादित मंदिर के चढावे आदि में 3/4 भाग पाने का अधिकारी माना गया। उपरोक्त मूलवाद सं. 74 वर्ष 1953 किशन सिंह आदि बनाम ग्राम सभा आदि मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.1955 अंतिम निर्णय है और आज तक प्रभावी है। वादीगण का कथन है कि उपरोक्त मूलवाद सं. 74 वर्ष 1953 किशन सिंह आदि बनाम ग्राम सभा आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.1955 को अपर जिला जज इलाहाबाद द्वारा सिविल अपील सं. 19 वर्ष 1956 रामचन्द्र आदि बनाम किशन सिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.05.1981 द्वारा निरस्त कर दिया, नितान्त असत्य है। प्रार्थीगण के ज्ञान में न तो ऐसी कोई अपील दायर की गयी और न ही प्रथम अपर जिला जज इलाहाबाद को कोई क्षेत्राधिकार कथित अपील की सुनने व निस्तारित करने का प्राप्त नहीं था। वादीगण द्वारा आदि यदि ऐसी कोई डिक्री दाखिल जाती है, तो वह फर्जी है अन्यथा भी क्षेत्राधिकार के अभाव में शून्य व निष्प्रभावी है। इस प्रकार प्रार्थीगण का विवादित मंदिर के चढावे आदि में 3/4 भाग है, जिसका वादीगण को बखूबी ज्ञान है, परन्तु वादीगण द्वारा प्रार्थीगण को आपसी साज के तहत पक्षकार नहीं बनाया है। उपरोक्त वाद के विषय में प्रार्थीगण को जानकारी दिनांक 08.08.2022 को ग्राम में चर्चा पर हुई है। प्रार्थीगण उपरोक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है। बाद में कोई भी आदेश पारित होने से प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित होंगे, जिससे प्रार्थीगण की अपूर्णनीय क्षति है। वादीगण का मंशा वाद को बाला ही बाला तय करने का है। वाद के उचित व अंतिम रूप से निस्तारण हेतु प्रार्थीगण को पक्षकार प्रतिवादी बनाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण को वाद उपरोक्त में पक्षकार प्रतिवादी बनाये जाने हेतु आदेशित किया जाये।

प्रतिवादी नं. 2 द्वारा आपत्ति कागज सं. 59सी2 के माध्यम से इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि प्रा. पत्र देहन्दा भगवान सिंह आदि कदापि भी जमींदार परिवार से नहीं है। प्रा.पत्र दिनांक 17.08.2022 देहन्दा का कोई ताल्लुक वास्ता गाटा सं. 156 जिसका नया नम्बर 159 रकवई 1–5–0 से नहीं है। पुराने खसरा सं. 156 जिसका नया नम्बर 159 है माता कल्याण देवी मंदिर चबूतरे व अन्य भवन बने हुए है, जिन्हें प्रतिवादीगण 2 ता 4 के वादीगण ने पूर्वज केशोराम ने करीब 110 वर्ष बनवाया था तथा मंदिर निर्माण की तिथि से ही वादीगण व जबाव देहन्दा के पूर्वज पूजा करते आ रहें हैं तथा वर्तमान में भी वादीगण व प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष सेवा, पूजा अर्चना करते आ रहें हैं। निर्णय दिनांक 23.09.1955 क्षुब्ध होकर प्रतिववादी प्रथमपक्ष ग्रामसभा कर्णवास उ. प्र. सरकार बनाम किशन सिंह आदि अपील नं. 11/56 तथा द्वितीयपक्ष के पूर्वज रामचन्द आदि ने अलग से अपील सं. 19/56 दायर की थी जो उस समय के कानून नियम के अनुसार अपील मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दायर की गयी। दोनों अपीलों 11/56 , 19/56 के लम्बन के समय बंगाल, आगरा, आसाम अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अनुसार दस हजार तक की मालियत के वाद की अपील न्यायालय सिविल जज के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने एवं निस्तारित करने का निर्णयाधिकार जिला जज को प्रदान कर दिया गया, इस आधार पर मा0 उच्च न्यायालय ने उक्त अपील नं. 11/56 को द्वितीय अतिरिक्त जिला जज इलाहाबाद अपील नं. 19/56 तथा प्रथम अतिरिक्त जिला उ. प्र. सरकार की अपील सं. 11/56 उ. प्र. सरकार बनाम किशर सिंह आदि अतिरिक्त जिला जज द्वितीय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.10.1971 को अवेट कर दी। उपरोक्त मूल वाद की आज्ञप्ति के विरूद्ध वादी एव प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष के पूर्वजों द्वारा अपील में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला जज इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.05.1981 को निर्णय पारित किया। निर्णय के

अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण द्वितीपक्ष के पूर्वजों को मंदिर का पूर्ण स्वामी मानते हुए उक्त मंदिर की आमदनी तथा चढावा आदि की समस्त धनराशि को प्राप्त करने का अधिकारी है, केशोराम वंशज रामचन्द व ब्रहमदेव को माना गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई द्वितीय अपील आजतक किसी भी पक्षकार ने नहीं दाखिल की है। अर्थात अपील निर्णय दि. 30.05.1981 अस्तित्व में है। उ. प्र. सरकार द्वारा दाखिल अपील 11/1956 जो उ. प्र. सरकार द्वारा दायर की गयी थी वादावसान को प्राप्त हुई और निरस्त कर दी गयी उक्त आदेश दि. 08.10.1971 के विरूद्ध भी कोई अपील लम्बित नहीं है। इस प्रकार वादी एव प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष आदेश दिनांक 30.05.1981 के अनुसार मंदिर पूर्ण मालिक हो गये और वादी एवं प्रतिवादीगण द्वितीयपक्ष मंदिर के पूर्ण चढावे लेने के अधिकारी हो गये। उक्त मंदिर से सम्पत्ति एव वाद प. भगवती प्रसार बनाम उ. प्र. सरकार दायर किया था वाद सं. 331/1983 था, वाद दिनांक 18.05.1988 को निर्णित हुआ। अगर प्रार्थीगण को कोई स्वत्व मंदिर में या मंदिर की सम्पत्ति में होता तो प्रार्थीगण को उक्त नम्बरी वाद मे भी पक्षकार बनना चाहिए था।

प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपत्ति कागज सं. 60सी2 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

वादीगण द्वारा कागज सं. 61सी2 के माध्यम से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उनके पूर्वज विवादित मंदिर के फाउण्डर अथवा जमींदार रहें हो। मूलवाद सं. 74/1953 में पारित निर्णय दिनांकित 23.09.1955 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में न्यायालय प्रथम अपर जिला जज इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30.05.1981 द्वारा स्वीकार की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील नहीं है। अतः यह निर्णय अंतिम हो चुका है। प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में विवाद देवी कल्याणी मंदिर स्थिति ग्राम कर्णवास से संबंधित है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष द्वारा वंशावली के आधार पर स्वंय को उक्त मंदिर के चढावे का हकदार बताया है तथा यह वाद राज्य सरकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी का मुख्य कथन यह है कि ग्राम कर्णवास के किशन सिंह व 9 अन्य व्यक्तियों ने वादी के पूर्वजों के विरूद्ध एक सिविल वाद 74/1953 सिविल न्यायालय में दायर किया था। जिसमें किशन सिंह एवं अन्य को वर्णित मंदिर में 3/4 भाग का भागीदार माना था, तथा वादी के पूर्वजों को 1/4 भाग का स्वामी माना था। इस आदेश के विरूद्ध अपील 11/1956 अपर जिला जज इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.10.1971 को निर्णीत की गई तथा वर्तमान वाद के वादी एवं प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के हक में फैसला हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंर्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि वह मूल वाद सं. 74/1953 में किशन सिंह आदि के वंशज हैं। प्रार्थीगण ग्राम कर्णवास ठाकुर फैमिली से हैं। इनके पूर्वज जमींदार थे और विवादित मंदिर के फाउण्डर थे। इस आधार पर प्रार्थीगण वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु दिये गये प्रावधान **आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी.** का अवलोकन किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में या दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायासंगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति का नाम जिससे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तवर्लिल सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायालय निर्णय और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड दिया जाए।' दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति विवाद के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए आवश्यक है तो पक्षकारों के आवेदन पर अन्यथा उस व्यक्ति को वाद में पक्षकार बनाया जा सकता है। In "**Atal srivastava vs Devprasad AIR 2012 CHH",** held Order 1 rule 10 of CPC 1908 enables the court to add any person as party at any stage of proceeding if the person whose presence before the court is necessary in order to enable the court to effectively and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit. An also to avoid to

multiplicity of the proceeding. **"Re. Ibrahim Haji AIR 1957 Mad"** it was held that Sub-rule (2) of rule 10 of Order 1 is wide enough to give a court power to add any person that is whether already a party or not so as to enable it effectively and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit. It gives wide discretion to the court to meet every case of the defect of the parties.

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा स्वंय को विवादित मंदिर के संस्थापक का वंशज बताया है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में कोई भी वंशावली या सिजरा खानदान प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही पत्रावली में ऐसा कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण किस प्रकार विवादित मंदिर के संस्थापक के वंशज हैं। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद सं. 74/1953 में पारित निर्णय 29.09.1953 का उल्लेख किया है कि यह वाद उनके पूर्वजों के पक्ष में निर्णीत हुआ था। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त मामले से संबंधित प्रथम अपील अपर जिला जज इलाहाबाद द्वारा क्षेत्राधिकार के अभाव में निर्णीत की गई। अतः प्रार्थीगण पर यह लागू नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उक्त अपील के क्षेत्राधिकार एवं इस वाद के गुण दोष का निस्तारण मामले में साक्ष्य आने के उपरान्त ही हो सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के लिए प्रार्थीगण को यह सिद्ध करना है कि वह वर्तमान वाद के प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक पक्षकार हैं। न्यायालय के मत में प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे वह इस मामले के निस्तारण के लिए आवश्यक पक्षकार प्रतीत हों। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। तदानुसार आपत्तियां निस्तारित की जाती हैं। पत्रावली दिनांक 12.01.2023 को प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पेश हो।

दिनांक–21.12.2022

(योगेश शिवा)
सिविल जज जू0डि0/जे0एम0,
अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर।